प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.09.2025

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में होटल में रोटी बनाते समय उसमें थूकने वाले कारीगर को किया गिरफ्तार।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर करीम होटल विजय विहार में रोटी बनाते समय थूकने की वायरल हुई वीडियो में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 22.09.25 को सुसंगत धारा 272/274/275 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगायी गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 25.09.25 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त राजा उर्फ सुहैल पुत्र यासीन नि0 गड्ढा कालोनी थाना ट्रोनिकी सिटी कमि0 गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त द्वारा पूछने पर अपने द्वारा किये गये कृत्य की माँफी माँगते हुये भविष्य में इस तरह की घटना नहीं करने के बारे में कहा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजा उर्फ सुहैल पुत्र यासीन नि0 गड्ढा कालोनी थाना ट्रोनिकी सिटी कमि0 गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग थाना अकुर विहार पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त को हिरासत में लिया गया।

दिनांक 04.06.2025 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र भूप सिंह नि0 सियाखोह तहसील व थाना मुडावर जिला अलवर राजस्थान के द्वारा वादिया को शादी का झूठा आश्वासन देकर वादिया के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाना जिससे वादिया गर्भवती हो गई,

गर्भवती के दौरान वादिया के एक पुत्री है जिसका जन्म 17.12.2024 को जी.टी.बी. हाँस्पिटल दिल्ली में हुआ जिसकी आयु 3 माह है, अभियुक्त द्वारा वादिया के साथ मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देना एवं अभियुक्त ओमप्रकाश उपरोक्त के भाई नारायण सिंह निवासी सियाखो तहसील मुण्डवार जिला अलवर राजस्थान व पिता भूप सिंह उपरोक्त का उक्त अपराध में पूर्ण सहयोग देना तथा दिनांक 26.03.2025 को वादिया को अभियुक्त ओमप्रकाश उपरोक्त की पहली शादी की जानकारी होने पर अभियुक्त का मुम्बई भाग जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 115(2)/351(3)/81/83 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 24.09.2025 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र भूप सिंह निवासी सियाखोह थाना मुन्डावर जिला अलवर प्रदेश राजस्थान को हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान उपरोक्त जुर्म को स्वीकार करते हुये बताया कि मैने शादी का झूठा आश्वासन देकर वादिया के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये हैं जिससे वादिया गर्भवती हो गयी और एक बेटी पैदा हुयी जिसकी उम्र 3 माह है , जब वादिया को पता चला की मैं शादी शुदा हूँ, तो हमारा झगडा हो गया और मैने उसके साथ मारपीट की थी तथा मैं वादिया को छोडकर मुम्बई भाग गया था।

अभियुक्त नाम व पता –

अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र भूप सिंह निवासी सियाखोह थाना मुन्डावर जिला – अलवर

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

-थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा शातिर गैम्बलर अपराधी जो संगठित होकर जुआ सट्टा खेलकर आर्थिक लाभ कमाने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व फड़ से बरामद 5000 रुपये एवं 2930 रुपये, 03 मोबाइल फोन जामा तलाशी से बरामद।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा जुआ सट्टे जैसे अपराध में संलिप्त जो संगठित होकर चोरी-छुपे जुआ/सट्टे ताश के पत्तों से खेलकर आर्थिक लाभ कमाने वाले शातिर अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर संगठित होकर ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलकर आर्थिक लाभ कमाने वाले 02 शातिर गैम्बलर 1.अमित कुमार पुत्र श्री विनोद

कुमार उम्र 35 वर्ष निवासी डी 700/14 गली नं0 6 अशोक नगर दिल्ली 93 2.धर्मेन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश उम्र 36 वर्ष निवासी एच ब्लाक एच 54 गंगा विहार दिल्ली 94 को थाना अंकुर विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व फड़ से 5000 रुपये तथा जामा तलाशी से 2930 रुपये कुल 7930 रुपये व 03 मोबाइल फोन बरामद हुये। अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धारा-13 सार्वजनिक जुआ अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग जुआ खेलकर पैसा कामते है तथा जुआ खेलकर कमाये गये पैसो से अपने शौक पूरा करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.अमित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी डी 700/14 गली नं0 6 अशोक नगर दिल्ली 93, उम्र 35 वर्ष।

2. धर्मेन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी एच ब्लाक एच 54 गंगा विहार दिल्ली 94, उम्र 36 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

52 ताश के पत्ते व फड़ से 5000 रुपये तथा जामा तलाशी से 2930 रुपये कुल 7930 रुपये व 03 मोबाइल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग थाना अकुर विहार पर पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 23.09.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की पल्सर मोटरसाइकिल को चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुंसगत धारा 303(2) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 24.09.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त विपुल उर्फ कालू पुत्र विजेन्द्र निवासी कृष्णा नगर थाना मोदीनगर कमि० गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को स्वागत होटल के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ में अपने जुर्म को स्वीकार करते हुये बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने अपने साथियों के साथ सोना इन्कलेव सीकरी कला के पास से चोरी की थी, मैं इसको बेचने की फिराक में था कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विपुल उर्फ कालू पुत्र विजेन्द्र निवासी कृष्णा नगर थाना मोदीनगर कमि० गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

अपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर चोरी, मारपीट व एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित कुल 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत छात्राएँ बनीं एक दिन की थानाध्यक्ष।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज दिनांक 25.09.2025 को कमिश्नरेट गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन जोन के समस्त थानों में छात्राओं को एक दिन के लिए थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर छात्राओं ने पुलिस कार्यप्रणाली को नजदीक से समझते हुए अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया।

इस दौरान छात्राओं ने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किये:–

1. जनसुनवाई आयोजित की – स्थानीय नागरिकों की समस्याएं सुनीं तथा उनके निवारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

2. संभ्रांत व्यक्तियों से संवाद – समाज के प्रबुद्धजनों से महिला सुरक्षा पर सार्थक चर्चा की तथा उनके सुझाव प्राप्त किए।

3. एंटी रोमियो स्क्वाड की चेकिंग – क्षेत्र में सक्रिय एंटी रोमियो टीम का निरीक्षण किया और कार्यप्रणाली को परखा।

4. पुलिस कर्मियों से बैठक – थाने के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानीं।

5. मीडिया से संवाद – अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस पहल से उन्हें पुलिस कार्यप्रणाली और महिला सुरक्षा की गहन समझ मिली और बताया कि महिला सुरक्षा व सम्मान को सुनिश्चित करने में पुलिस की भूमिका कितनी महत्त्वपूर्ण है।

इस पहल ने छात्राओं में आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता का संचार किया। साथ ही समाज में यह संदेश गया कि बेटियाँ आज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम हैं। छात्राओं में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति उनकी समझ को और मजबूत करेगा।

इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान 5.0 का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में आत्मविश्वास जगाना, उन्हें कानून और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देना तथा समाज में उनकी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करना है।

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में कमिश्नरेट के समस्त थानों पर आज दिनांकः 25.09.2025 को एक दिन के लिए सम्बन्धित थाना क्षेत्र की एक छात्रा को थानाध्यक्ष के पद पर तैनात किया गया तथा छात्राओं के द्वारा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।

प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु शारदीय नवरात्र के अवसर पर दिनांकः 22.09.2025 से 'मिशन शक्ति' का 30 दिवसीय विशेष अभियान (फेज-05) उ०प्र० शासन द्वारा चलाया जा रहा है।

इस अभियान के दौरान कमिश्नरेट के समस्त थानों (साइबर थाना एवं महिला थाना सहित) पर दिनांकः 25.09.2025 को एक दिन के लिए जनसुनवाई के दौरान प्रातः 10:00 बजे से 14:00 बजे तक सम्बन्धित थाना क्षेत्र की एक छात्रा को थानाध्यक्ष के पद पर तैनात किया गया।

थानाध्यक्ष पद पर तैनाती के लिए छात्रा का चयन सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त के अनुमोदनोपरान्त किया गया।

मुख्य बिन्दु-

- उक्त कार्यक्रम के लिए चयनित छात्रा को उनके विद्यालय/ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से थाने की गाड़ी से लाया गया।
- थानाध्यक्ष द्वारा छात्रा को पुलिस का कैप पहनाकर ,थानाध्यक्ष का बैज लगाकर स्वागत किया गया।
- छात्रा द्वारा सम्बन्धित थाना पर जनसुनवाई की गई।
- थाना क्षेत्र में महिला सुरक्षा को लेकर की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्भ्रान्त व्यक्तियों से वार्ता कर महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में सुझाव भी प्राप्त किया गया।
- छात्रा द्वारा थाना की एण्टी रोमियो स्क्वॉड की चेकिंग की गई।
- छात्रा द्वारा थाना के पुलिसकर्मियों के साथ मीटिंग कर उनकी समस्याएँ सुनी गई।

कार्यक्रम के उपरान्त छात्रा को सम्बन्धित थाने की गाड़ी से ही उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया।

उद्देश्य –

- **बालिकाओं को नेतृत्व का अनुभव देना:** यह पहल छात्राओं को प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अनुभव कराती है, जिससे उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है।
- **पुलिस व्यवस्था की समझ बढ़ाना:** छात्रा कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, और जनसुनवाई जैसे कार्यों की जानकारी देना।
- **संवाद और जागरुकता:** छात्रा के नेतृत्व में थाने में आने वाले लोगों से संवाद होता है, जिससे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलती है।
- **शिक्षा और करियर के प्रति प्रेरणा:** छात्राओं को यह दिखाया जाता है कि मेहनत और लगन से वे उच्च पदों तक पहुँच सकती हैं, जिससे वे अपने भविष्य के लिए प्रेरित होती हैं।
- **पुलिस और समाज के बीच विश्वास बढ़ाना:** इससे पुलिस विभाग की छवि सकारात्मक रूप से समाज में विशेषकर युवाओं के बीच प्रस्तुत होती है।

उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग किए गए छात्राओं का थानावार विवरण-

क्रम संख्या	छात्रा का नाम	विद्यालय का नाम	थाना

1	ईशु पाल	फातिमा कान्वेंट सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल नंदग्राम	नंदग्राम
2	कु0 हेनदेवी	संतोष मैडिकल काँलेज अस्पताल गा0बा0	सिहानी गेट
3	चचंल भारती	महानंद मिशन हरिजन कॉलेज	कोतवाली
4	मनाली गोयल	संतोष मेडिकल कॉलेज	विजयनगर
5	अंशिका	पी एम श्री केन्द्रिय विद्यालय कमला नेहरू नगर	मधुबन बापूधाम
6	तनु चौधरी	इनग्राहम कॉलेज	कविनगर
7	विदुषी	जयपुरिया पब्लिक स्कूल	इन्दिरापुरम
8	कृतिका शर्मा	कम्पोजिट विद्यालय संगम पार्क	खोडा
9	त्रिशा	सनवैली इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल	कौशाम्बी
10	सपना चौहान	नगर निगम बालिका इण्टर कॉलेज	साहिबाबाद
11	पीहू अग्रवाल	बाल भारती पब्लिक स्कूल	लिंकरोड
12	अनुष्का धामा	डीएलएफ पब्लिक स्कूल	शालीमार गार्डन
13	निशा	सेंट थॉमस स्कूल	टीलामोड
14	सुश्री निश्का बिंदल	सुंदरदीप कॉलेज ऑफ मैनेंजमेंट एंड टैक्नोलॉजी	वेव सिटी
15	डौली राघव	ABES इंजीनियरिंग कालेज क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद	क्रासिंग रिपब्लिक
16	ज्योति विश्वास	लोनी इंटर कॉलेज	लोनी
17	गायत्री सिंह	हॉली चाइल्ड एकेडमी	ट्रोनिका सिटी
18	माही भारद्वाज	डॉन कान्वेंट स्कूल	अंकुर विहार
19	पूर्वी राठी	डॉयमंड पब्लिक स्कूल	लोनी बॉर्डर
20	ज्योति सोलंकी	जे एम एस आई टी कॉलेज	मसूरी
21	संचिता तिवारी	आई टी एस कॉलेज	मुरादनगर
22	काजल	रूक्मणि मोदी महिला इंटर कॉलेज	मोदीनगर
23	वंशिका सिंह	एस आर एम कॉलेज	निवाड़ी

24	काव्या मीणा	श्री राम इंटर कॉलेज	भोजपुर
25	श्रीजा	गवर्नमेन्ट इण्टर कॉलेज	महिला थाना
26	अंशिका पवार	रेडिकॉन स्कूल डासना	साइबर थाना

इस प्रकार मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्रा को एक दिन के लिए थानाध्यक्ष के पद पर तैनात किया जाना न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पहल से बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक समझ का विकास हुआ है।

गाजियाबाद पुलिस द्वारा किया गया यह अभिनव प्रयोग भविष्य की पीढ़ी को जागरुक, सक्षम और प्रेरित करने में सहायक सिद्ध होगा।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व अभियुक्तों की निशानदेही से चोरी की 02 मोटर साइकिल व 02 स्कूटी(कुल 05 दो पहिया वाहन) बरामद।

दिनांक 25.09.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1. आशु उर्फ टिन्कू पुत्र जगदीश निवासी ए-341 गली न0 17 ब्लाक ए भोपुरा गगन विहार थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष, 2. नेत्रपाल पुत्र स्व0 दिलीप चन्द्र पता भोपुरा ठेके शनि मंदिर के पास हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली मूल पता भूकी सराय सासनी गेट चौकी के पास अलीगढ लगभग उम्र करीब 30 वर्ष व 3. पूरन उर्फ अभिषेक पुत्र जगदीश निवासी ए-341 गली न0 17 रोहतास की दुकान के पास गगनविहार भोपुरा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को शान्ति चौक राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन से चोरी की 01 मोटर साइकिल व अभियुक्तों की निशानदेही से चोरी की 02 मोटर साइकिल व 02 स्कूटी(कुल 05 दो पहिया वाहन) सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार तीनों अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि तीनों अभियुक्तों मिलकर दो पहिया वाहन चोरी करते हैं। बरामद मोटर साइकिल तीनों अभियुक्तों ने थाना लिंकरोड क्षेत्र से करीब 03 महीने पहले चोरी किया था तथा निशानदेही से बरामद चोरी की मोटर साइकिल व स्कूटी को गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर से चोरी कर बजीराबाद रोड सेक्टर 3 राजेन्द्र नगर शिव मंदिर के पास

झाडियों में त्रिपाल डालकर छुपा रखा था। तीनों अभियुक्त चोरी किये हुये दो पहिया को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. आशु उर्फ टिन्कू पुत्र जगदीश निवासी ए-341 गली न0 17 ब्लाक **A** भोपुरा गगन विहार थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष
2. नेत्रपाल पुत्र स्व0 दिलीप चन्द्र पता भोपुरा ठेके शनि मंदिर के पास हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली मूल पता भूकी सराय सासनी गेट चौकी के पास अलीगढ लगभग उम्र करीब 30 वर्ष
3. पूरन उर्फ अभिषेक पुत्र जगदीश निवासी ए-341 गली न0 17 रोहतास की दुकान के पास गगनविहार भोपुरा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल व अभियुक्तों की निशानदेही से चोरी की 02 मोटर साइकिल व 02 स्कूटी(कुल 05 दो पहिया वाहन) बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त आशु उर्फ टिन्कू पुत्र जगदीश उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, टीलामोड, लिंकरोड, कौशाम्बी व दिल्ली एनसीआर में वाहन चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 06 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

- गिरफ्तार अभियुक्त नेत्रपाल पुत्र स्व0 दिलीप चन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन, टीलामोड, लिंकरोड, कौशाम्बी व दिल्ली एनसीआर में वाहन चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01-01 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर वाहन चोरी व आबकारी अधिनियम के सम्बन्ध में 02 अभियोग व अलीगढ़ में वाहन चोरी, चोरी का माल बरामद होने व गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत 04 पंजीकृत हैं। कुल 11 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

- गिरफ्तार अभियुक्त पूरन उर्फ अभिषेक पुत्र जगदीश उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, टीलामोड, लिंकरोड, कौशाम्बी व दिल्ली एनसीआर में वाहन चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 06 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा क्रिप्टो करेंसी/शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर धोखाधडी करने वाले गैंग के सदस्य तीन अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद, थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद के 03 अभियोगों का खुलासा, क्रमश: 58.93 लाख, 26.62 लाख व 18.54 लाख रुपये बरामद, साथ ही 19 राज्यों की 136 घटनाओं में कुल फ्रॉड – 77.52 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का खुलासा।

श्री शशी रंजन कुमार निवासी इन्दिरापुरम गाजियाबाद के साथ शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर साइबर फ्राड की घटना हुई, वादी मुकदमा को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड कर वेबसाइट https://www.tbdemat.com/#/Personal पर अकाउंट बनाकर, शेयर ट्रेडिंग में निवेश के बहाने कुल 7,95,26,652/- रुपये की साइबर ठगी की गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी श्री शशी रंजन कुमार द्वारा दिनांक 07.07.2025 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

श्री अंकित रस्तोगी निवासी इन्दिरापुरम गाजियाबाद के साथ क्रिप्टो करेन्सी में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर साइबर फ्राड की घटना हुई, वादी मुकदमा को फेसबुक आईडी KIRAN.MEHTA514 से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड कर वेबसाइट https://coinex-vip2.com व Coinex-VIP2.com ऐप पर अकाउंट बनाकर, क्रिप्टो करेन्सी में निवेश के बहाने कुल 1,82,68,090/- रुपये की साइबर ठगी की गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी श्री अंकित रस्तोगी द्वारा दिनांक 18.07.2025 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

श्री प्रशांत सक्सेना निवासी सिहानी गेट गाजियाबाद के साथ शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर साइबर फ्राड की घटना हुई, वादी मुकदमा को वादी मुकदमा को फेसबुक आईडी Shanaya-Saxena से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ कर वेबसाइट M.IRONFXCOM.CC/#/TRADE पर अकाउंट बनाकर, शेयर ट्रेडिंग में निवेश के बहाने कुल 59,99,949/- रुपये की साइबर ठगी की गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी श्री प्रशांत सक्सेना कुमार द्वारा दिनांक 12.06.2025 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा उपरोक्त क्रिप्टो करेंसी/शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त शिवा जायसवाल पुत्र रामकुमार जायसवाल निवासी ग्राम महाराजपुर जनपद अमेठी हाल पता 238 के-569 स्नेहनगर, आलमबाग जनपद लखनऊ, आशीष कनौजिया पुत्र चन्द्रशेखर निवासी ग्रा0 गोरी थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी हाल पता 370 के- 569 प्रेमनगर, आलमबाग जनपद लखनऊ, तुषार मिश्रा पुत्र राजीव मिश्रा निवासी भावरा चौराहा गली नं0 04 थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी हाल पता म0नं0 03 गली नं0 02 सेक्टर 06 आवास विकास कालोनी थाना जगदीशपुरा जनपद

आगरा को साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन के साथ थाना क्षेत्र कोतवाली गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। **थाना साइबर क्राइम के इन मुकदमों में क्रमशः 58.93 लाख, 26.62 लाख व 18.54 लाख रुपये कुल 1.04 करोड़ रिकवर किये गये हैं।**

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ में बताया कि उनका एक गैंग है, इस गैंग के सदस्य लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़कर, फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप/वेबसाइट पर अकाउन्ट खुलवाकर शेयर ट्रेडिंग में निवेश के बहाने भिन्न-2 खातों में पैसे ट्रांसफर कराकर साइबर फ्रॉड की घटना कारित करते थे।

पूछताछ पर आगे बताया कि सुहैल व रजत ने शिवा जायसवाल और आशीष कनौजिया के नाम से फर्जी फर्म बनायी और फर्म के नाम पर खाता खुलवाकर उसमें फ्रॉड के पैसे मंगाये गये जिसका कमीशन शिवा जायसवाल व आशीष कनौजिया को मिलता था। उनके खाते में कुल 3.66 करोड़ रूपये विभिन्न घटनाओं से प्राप्त किये गये थे। श्री शशि रंजन के साथ घटित साइबर फ्राड की घटना का 2.24 करोड़ रूपये इसी खाते में ट्रान्सफर हुए थे।

अभियुक्तों के इस खाते से 24 लाख रूपये अभियुक्त तुषार मिश्रा के खाते में ट्रान्सफर हुए थे। अभियुक्त तुषार मिश्रा ने अभियुक्त शमीम निवासी केरल के साथ मिलकर यह खाता खुलवाया था। इस खाते में देश के विभिन्न क्षेत्र की कुल 139 घटनाओं के 11 करोड़ रूपये ट्रान्सफर किये गये थे। केरल निवासी शमीम दिल्ली में किराये के फ्लैट में रहता था। इस समय उसके कम्बोडिया जाने की सूचना है।

उपरोक्त अभियुक्तों से पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन के दौरान गाजियाबाद की 03 घटनाओं सहित NCRP पोर्टल पर पंजीकृत **19 राज्यों की 136 घटनाओं** क्रमशः आंध्र प्रदेश राज्य की 3, असम राज्य की 2, दिल्ली राज्य की 3, गोवा राज्य की 1, गुजरात राज्य की 9, हरियाणा राज्य की 2, हिमाचल प्रदेश राज्य की 1, झारखंड राज्य की 1, कर्नाटक राज्य की 18, केरल राज्य की 12, मध्य प्रदेश राज्य की 3, महाराष्ट्र राज्य की 32, ओडिशा राज्य की 4, पंजाब राज्य की 4, राजस्थान राज्य की 2, तमिलनाडु राज्य की 19, तेलंगाना राज्य की 7, उत्तर प्रदेश राज्य की 5, पश्चिम बंगाल राज्य की 8 घटनाओं का खुलासा हुआ है, **जिनमें कुल 77.52 करोड़** रुपये की साइबर ठगी की गई है।

विवरण इस प्रकार है - आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिला के प्रताप बाबू परिमी के साथ 2172000/- रुपये का फ्रॉड, पालनाडु जिला के कृष्णा साई मेकला के साथ 7320156/- रुपये का फ्रोड, एनटीआर कमिश्नरी जिला के डी चक्रपाणि के साथ 2376000/- रुपये का फ्रॉड, असम राज्य के बारपेटा जिला के जहांगीर इस्लाम के साथ 453000/- रुपये का फ्रॉड, गुवाहाटी सेंट्रल जिला के श्री एस एन सिंह के साथ 2100000/- रुपये का फ्रॉड, दिल्ली राज्य के पूर्वी जिला के विनय बोराद के साथ 3250000/- रुपये का फ्रॉड, उत्तर पश्चिम जिला के मनोज कुमार मल्होत्रा के साथ 663859/- रुपये का फ्रॉड, विनय

बोराड के साथ 3225000/-रुपये का फ्रॉड, गोवा राज्य के सी आई डी जिला के जोआओ बैपटिस्टा फर्नांडीस के साथ 1465000/- रुपये का फ्रॉड, गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर जिला के धेर्या वोरा के साथ 1200000/-रुपये का फ्रॉड, भावनगर जिला के दाजी राजसिंह गोहिल के साथ 2200000/- रुपये का फ्रॉड, गांधीनगर जिला के केतनभाई सोनी के साथ 8500000/- रुपये का फ्रॉड, भावनगर जिला के सरफराज भिमानी के साथ 1200000/- रुपये का फ्रॉड, साबर कांथा जिला के शब्बीर हुसैन के साथ 9000000/- रुपये का फ्रॉड, राजकोट शहर जिला के राजीव मिश्रा के साथ 5000000/- रुपये का फ्रॉड, अहमदाबाद ग्रामीण जिला के विजय जैन के साथ 35271871/- रुपये का फ्रॉड, अहमदाबाद ग्रामीण जिला के रेवरी इंद्रजीत के साथ 900000/- रुपये का फ्रॉड, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिला के मनप्रीत सिंह के साथ 2307000 रुपये का फ्रॉड, गुरुग्राम जिला के अमन गुप्ता के साथ 1700000 रुपये का फ्रॉड, हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिला के मंजीत कुमार के साथ 440000 रुपये का फ्रॉड, झारखंड राज्य के हज़ारीबाग जिला के सदानंद कुमार के साथ 2534764 रुपये का फ्रॉड, कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु जिला की सांभवी झा के साथ 1200000 रुपये का फ्रॉड, बेंगलुरु जिला की सांभवी के साथ 1300000 रुपये का फ्रॉड, बेंगलुरु शहर जिला के आर मनोहर प्रिया के साथ 3220224 रुपये का फ्रॉड, विजयनगर जिला के बी विनुपाक्षी शेट्टी के साथ 1850000 रुपये का फ्रॉड, बेंगलुरु शहर जिला की आशा अमरसिंह जाधव के साथ 1370000 रुपये का फ्रॉड, मैसूर शहर जिला के जगदीश एस के साथ 850000 रुपये का फ्रॉड, बेंगलुरु शहर जिला के मालाथेश एच जी के साथ 15490000 रुपये का फ्रॉड, बेंगलुरु शहर जिला के भुवनेश कुमार सिंह के साथ 49999 रुपये का फ्रॉड, मैसूर शहर जिला के एम संबथ के साथ 2693000 रुपये का फ्रॉड, बेंगलुरु शहर जिला के मंजूनाथ डी एन के साथ 557000 रुपये का फ्रॉड, बेंगलुरु शहर जिला के रश्मि रंजन साहू के साथ 1955000 रुपये का फ्रॉड, बेंगलुरु शहर जिला के अनंत स्वामी एम जे के साथ 3991000 रुपये का फ्रॉड, बेंगलुरु शहर जिला के शिवदुर्गराजशेखर के साथ 5286237 रुपये का फ्रॉड, बेंगलुरु शहर जिला के उदय ए पुथ्रान के साथ 4240000 रुपये का फ्रॉड, बेंगलुरु शहर जिला के आनंद कुमार उंदडी के साथ 626000 रुपये का फ्रॉड, बेंगलुरु शहर जिला के कीर्तिराज यशवंत के साथ 8335000 रुपये का फ्रॉड, बेंगलुरु शहर जिला के नरजिस बादामी के साथ 720000 रुपये का फ्रॉड, केरल राज्य के कन्नूर शहर जिला के अफसल के साथ 1382100 रुपये का फ्रॉड, निर्मल देवसिया के साथ 142000 रुपये का फ्रॉड, कोल्लम शहर जिला के निगेल फर्नांड्ज़ के साथ 4600000 रुपये का फ्रॉड, पथानमथिट्टा जिला के तिजू Abhrhham के साथ 9393426 रुपये का फ्रॉड, एर्नाकुलम ग्रामीण जिला के अकिल पॉल के साथ 6571228 रुपये का फ्रोड, एर्नाकुलम ग्रामीण जिला के विनोद कुमार एस एस के साथ 2050000 रुपये का फ्रॉड, कन्नूर शहर जिला के पी गोपीनाथन के साथ 38320000 रुपये का फ्रॉड, त्रिशूर ग्रामीण जिला के प्रेमलाल के साथ 1545000 रुपये का फ्रॉड, वायनाड जिला के जिलसाद के साथ 7695000 रुपये का फ्रॉड, त्रिशूर शहर जिला के फ्रांसिस ए टी के साथ 1395000

रुपये का फ्रॉड, तिरुवनंतपुरम ग्रामीण जिला के रेनोज कुरुविला सैम के साथ 7210000 रुपये का फ्रॉड, मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिला के कमल किशोर झा के साथ 324000 रुपये का फ्रॉड, इंदौर शहरी जिला के संजय कुमार शर्मा के साथ 12985456 रुपये का फ्रॉड, महाराष्ट्र राज्य के बृहन् मुंबई शहर जिला के देवेन्द्र चतुवेर्दी के साथ 21700000 रुपये का फ्रॉड, पुणे शहर जिला के सिद्धनाथ जायसवाल के साथ 15527848 रुपये का फ्रॉड, बृहन् मुंबई शहर जिला के सोनू जैन के साथ 7686600 रुपये का फ्रॉड, पुणे शहर जिला के ऋषिकेश अशोक सरदेशमुख के साथ 8004047 रुपये का फ्रॉड, बृहन् मुंबई शहर जिला के तुषार जाधव के साथ 6812000 रुपये का फ्रॉड, नागपुर शहर जिला के गिरीश सुरचंद्र बिसानी के साथ 325000 रुपये का फ्रॉड, बृहन्मुंबई शहर जिला के मनीष मनोहरराव इंगोले के साथ 4070000 रुपये का फ्रॉड, नासिक शहर जिला के अनुष अनिल जाधव के साथ 449500 रुपये का फ्रॉड, बृहन् मुंबई शहर जिला के उमेश सावंत के साथ 990000 रुपये का फ्रॉड, ठाणे शहर जिला के अक्षय हेज के साथ 780000 रुपये का फ्रॉड, चंद्रपुर जिला के गिरीश भगवान चौधरी के साथ 563510 रुपये का फ्रॉड, बृहन्मुंबई शहर जिला के अमित शाह के साथ 540000 रुपये का फ्रॉड, नवी मुंबई जिला के रविकुमार गोपालन के साथ 3695000 रुपये का फ्रॉड, नागपुर शहर जिला के राजेंद्र वामनराव कोराडे के साथ 2400000 रुपये का फ्रॉड, पुणे शहर जिला के मनोज कुमार कनोडिया के साथ 12000000 रुपये का फ्रॉड, बृहन् मुंबई शहर जिला के सुभांगी प्रभु के साथ 1518000 रुपये का फ्रॉड, पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय जिला के परेश देशमुख के साथ 7100305 रुपये का फ्रॉड, पुणे शहर जिला के भास्कर बापूराव कदम के साथ 55000 रुपये का फ्रॉड, पुणे शहर जिला के भास्कर बापूराव कदम के साथ 474885 रुपये का फ्रॉड, नवी मुंबई जिला के नरेंद्र काशीनाथ शेलके के साथ 520000 रुपये का फ्रॉड, मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर जिला के विजय लक्ष्मी के साथ 3500000 रुपये का फ्रॉड, पिंपरी-चिंचवड जिला के मोहन हरगुडे के साथ 16549120 रुपये का फ्रॉड, बृहन् मुंबई शहर जिला के श्रीधर रामबाबू चल्लापल्ली के साथ 4489000 रुपये का फ्रॉड, पुणे शहर जिला के साजीत सदानंद के साथ 8873040 रुपये का फ्रॉड, ठाणे शहर जिला के विष्णु कोटवानी के साथ 57452000 रुपये का फ्रॉड, बृहन्मुंबई शहर जिला के नरेश रामभोरी वर्मा के साथ 1682894 रुपये का फ्रॉड, ठाणे शहर जिला के सुमीत शिंदे के साथ 917500 रुपये का फ्रॉड, पुणे शहर जिला के अमर देशपांडे के साथ 10510564 रुपये का फ्रॉड, बृहन् मुंबई शहर जिला के संजय पंडित के साथ 1462924 रुपये का फ्रॉड, बृहन् मुंबई शहर जिला के सिद्धार्थ शेलार के साथ 100000 रुपये का फ्रॉड, ओडिशा राज्य के ढेंकनाल जिला के प्रशांत कुमार सामल के साथ 5000000 रुपये का फ्रॉड, यूपीडी, भुवनेश्वर जिला के राजेश के साथ 200000 रुपये का फ्रॉड, खुर्दा जिला के मधुकर ठाकुर के साथ 331000 रुपये का फ्रॉड, पंजाब राज्य के रूपनगर जिला के राजनदीप सिंह तिवाना के साथ 7029000 रुपये का फ्रॉड, पटियाला जिला के धर्मपाल के साथ 4800000 रुपये का फ्रॉड, सास नगर जिला के जितेंद्र सिंह के साथ 2407613 रुपये का फ्रॉड, लुधियाना जिला की तनु जैन के साथ 25025000

रुपये का फ्रॉड, राजस्थान के कोटा शहर जिला के राकेश नागरवाल के साथ 681250 रुपये का फ्रॉड, जयपुर शहर (पूर्व) जिला के पवन कुमार काला के साथ 508000 रुपये का फ्रॉड, तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिला के सुधाकर के साथ 5880978 रुपये का फ्रॉड, शिवगंगा जिला के अथियामन के साथ 1775218 रुपये का फ्रॉड, सलेम जिला के श्रीनिवासन के साथ 434135 रुपये का फ्रॉड, जिलों के लिए गणेश प्रसाद के साथ 5188000 रुपये का फ्रॉड, कोयंबटूर जिला के रमेश सुंदरराजन के साथ 215000 रुपये का फ्रॉड, इरोड जिला के आर प्रकाश के साथ 211000 रुपये का फ्रॉड, इरोड जिला के ज्ञानसेकरन के साथ 80000 रुपये का फ्रॉड, तमिलनाडु राज्य इरोड जिला के नवनीथम पेरियास्वामी के साथ 6000000 रुपये का फ्रॉड, कोयंबटूर शहर जिला के पी के वेंकटसुब्रमण्यम के साथ 2607500 रुपये का फ्रॉड, मदुरै शहर जिला के कमल के साथ 1465210 रुपये का फ्रॉड, तांबरम शहर-सीसीबी जिला के बालाजी वडामलाई के साथ 16923612 रुपये का फ्रॉड, सीसीडब्ल्यू जिला के शिवकुमारन के साथ 997470 रुपये का फ्रॉड, चेन्नई - सीसीबी जिला के वेंकटेशन के साथ 90540962 रुपये का फ्रॉड, ताम्बरम शहर-सीसीबी जिला के नवीन के साथ 1861500 रुपये का फ्रॉड, सलेम शहर जिला के मेगानाथन के साथ 4106000 रुपये का फ्रॉड, कृष्णागिरी जिला के इकराम अहमद के साथ 24050000 रुपये का फ्रॉड, चेन्नई - सीसीबी जिला के किशोर एम के साथ 22600000 रुपये का फ्रॉड, कोयंबटूर शहर जिला के रतनलाल असावा के साथ 1405000 रुपये का फ्रॉड, तांबरम जिला के सेल्वा कुमार पी के साथ 748500 रुपये का फ्रॉड, तेलंगाना राज्य के साइबराबाद जिला के पोट्टुरी वेंकट रमना के साथ 549000 रुपये का फ्रॉड, हैदराबाद शहर जिला के डी वेणुगोपाल के साथ 10600000 रुपये का फ्रॉड, साइबराबाद जिला के चिंताकुंटा लक्ष्मी प्रसाद के साथ 7650000 रुपये का फ्रॉड, हैदराबाद शहर जिला के मोहम्मद अब्दुल लतीफ के साथ 168300 रुपये का फ्रॉड, हैदराबाद शहर जिला के रविकांत रेड्डी के साथ 7430000 रुपये का फ्रॉड, हैदराबाद शहर जिला के केतन के साथ 7106856 रुपये का फ्रॉड, साइबराबाद जिला के मोहन फणीधर चौधरी के साथ 1762998 रुपये का फ्रॉड, उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिला के प्रशांत सक्सेना के साथ 5999949 रुपये का फ्रॉड, आगरा जिला के मनोज कुमार जैन के साथ 2812000 रुपये का फ्रॉड, मेरठ जिला के चिराग नागपाल के साथ 2654000 रुपये का फ्रॉड, गाजियाबाद जिला के नरेंद्र कुमार के साथ 12762626 रुपये का फ्रॉड, गाजियाबाद जिला के अंकित रस्तोगी के साथ 2500000 रुपये का फ्रॉड, लखनऊ जिला के विवेक वर्मा के साथ 12225000 रुपये का फ्रॉड, गौतम बुद्ध नगर जिला के सत्यम ठाकुर के साथ 2264000 रुपये का फ्रॉड, पश्चिम बंगाल राज्य के बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट जिला के प्रथा बसु के साथ 9050000 रुपये का फ्रॉड, पूरब बर्दवान जिला के देबब्रोता नाथ के साथ 20100 रुपये का फ्रॉड, बारुईपुर पुलिस जिला के तुतुल पांडा के साथ 1299500 रुपये का फ्रॉड, बीरभूम जिला के कार्तिक प्रसाद भक्त के साथ 14665000 रुपये का फ्रॉड, कोलकाता दक्षिण उपनगरीय डिवीजन जिला के तपन कुमार बैद्य के साथ 1187000 रुपये का फ्रॉड,

हुगली ग्रामीण जिला की सुप्रिया सिन्हा रॉय के साथ 1038015 रुपये का फ्रॉड, आसनसोल दुर्गापुर जिला के एमडी मुस्तकीम खान के साथ 1000000 रुपये का फ्रॉड, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट जिला के प्रताप शंकर त्रिवेदी के साथ 747404 रुपये का फ्रॉड की घटनाओं का खुलासा हुआ है। सम्बन्धित पुलिस से सम्पर्क कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. शिवा जायसवाल पुत्र रामकुमार जायसवाल निवासी ग्रा0 महाराजपुर जनपद अमेठी हाल पता 238 के-569 स्नेहनगर, आलमबाग जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष, शिक्षा – 12वीं।
2. आशीष कनौजिया पुत्र चन्द्रशेखर निवासी ग्रा0 गोरी थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी हाल पता 370 के-569 प्रेमनगर, आलमबाग जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष, शिक्षा - स्नातक।
3. तुषार मिश्रा पुत्र राजीव मिश्रा निवासी भावरा चौराहा गली नं0 04 थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी हाल पता म0नं0 03 गली नं0 02 सेक्टर 06 आवास विकास कालोनी थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा उम्र करीब 28 वर्ष, शिक्षा – 12वीं।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त 4 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत छात्राएं बनीं एक दिन की थानाध्यक्ष।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज दिनांक 25.09.2025 को कमिश्नरेट गाजियाबाद के ग्रामीण जोन के समस्त थानों में छात्राओं को एक दिन के लिए थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। कमिश्नरेट गाजियाबाद के ग्रामीण जोन के थानों पर 01 दिन के लिए थानाध्यक्ष के पद पर तैनात छात्राओं को पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन कार्यालय का भ्रमण कराया गया जिसमें श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण महोदय द्वारा उक्त छात्राओं पुलिस की कार्यप्रणाली व जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया गया एवं थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त छात्राओं द्वारा थानाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अनुभव साझा किया गया, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी द्वारा उक्त छात्राओं के साथ पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं पर संवाद किया गया एवं सभी को पुष्पगुच्छ व उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया एवं अपील की गई कि मिशन शक्ति अभियान 5.0 का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर आम जनमानस को जागरूक करें।

इस दौरान छात्राओं ने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य कियेः–

1. जनसुनवाई आयोजित की – स्थानीय नागरिकों की समस्याएं सुनीं तथा उनके निवारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

2. संभ्रांत व्यक्तियों से संवाद – समाज के प्रबुद्धजनों से महिला सुरक्षा पर सार्थक चर्चा की तथा उनके सुझाव प्राप्त किए।

3. एंटी रोमियो स्क्वाड की चेकिंग – क्षेत्र में सक्रिय एंटी रोमियो टीम का निरीक्षण किया और कार्यप्रणाली को परखा।

4. पुलिस कर्मियों से बैठक – थाने के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानीं।

5. मीडिया से संवाद – अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस पहल से उन्हें पुलिस कार्यप्रणाली और महिला सुरक्षा की गहन समझ मिली और बताया कि महिला सुरक्षा व सम्मान को सुनिश्चित करने में पुलिस की भूमिका कितनी महत्त्वपूर्ण है।

इस पहल ने छात्राओं में आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता का संचार किया साथ ही समाज में यह संदेश गया कि बेटियाँ आज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम हैं तथा छात्राओं में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति उनकी समझ को और मजबूत करेगा।

इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0 का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में आत्मविश्वास जगाना, उन्हें कानून और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देना तथा समाज में उनकी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करना है।

ग्रामीण जोन के समस्त थानों की एन्टी रोमियो स्क्वाड टीम व पिंक बूथ पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति-5 अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा व महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित 'मिशन शक्ति–5.0' का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन एवं जागरूकता अभियान प्रचलित किए जा रहे हैं जिसके क्रम में आज दिनांक 25.09.2025 को ग्रामीण जोन के समस्त थानों की एन्टी रोमियो स्क्वाड टीम व पिंक बूथ पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति-5 अभियान के अन्तर्गत अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत भ्रमण कर स्कूल, कॉलेज आदि जगह महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा व महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए लैंगिक अपराध, साइबर सुरक्षा व विभिन्न हेल्पलाइन-1090, 181, 112, 1098, 1076 आदि के बारे में जानकारी दी गई एवं जागरुकता हेतु पम्पलेट वितरण किये गये।